


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 58/2024 शीर्षक नैनु फंवर बनाम किष्ण सिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
25/10/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जायगी उपाधित। अधिवक्ता जायगी ने जायगी की मुद्दा होने से एक जायगी पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपडित ध्याए 15। सी. पी. सी. का पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता जायगी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जायगी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना शामिल के अनुपाधित। पत्रावली दिनांक 27/11/2024 को पेश है।</p>	
27/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जायगी उपाधित। अधिवक्ता संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना शामिल के अनुपाधित। अधिवक्ता जायगी ने जायगी-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपडित ध्याए 15। सी. पी. सी. का स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः जायगी-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपडित ध्याए 15। सी. पी. सी. का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तहसील देवगढ़ को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वापस जवाब व प्राप्त करने मौका रिपोर्ट दिनांक 20/12/2024 को पेश है।</p>	
20/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानांतरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/01/25 को पेश हो।</p>	
	<p>हस्ताक्षर सैडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 58/2024 शीर्षक नैनु कंवर बनाम किरण सिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>24/01/25</p> <p>पत्रावली पैदा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी अनुपस्थित/कार-कार आवाज लगाई गई किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम होजरी व अदम पैम्बी में खरिज किया जा रहा है। पत्रावली पैम्बल शमार ही नखर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द </p>	